जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2025 को अपरान्ह् 03:30 बजे नारकोटिक्स (NCORD) से संबंधित बैठक

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग ***/8322/*** लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन **(Codeine),** ऐल्प्रक्स **(alprax)** आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरूद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक **"युद्ध नशे के विरूद्ध"** विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरूप्योग के विरूद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा "प्रहरी" नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविधालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरूपयोग के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या–1

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं0. 1933 का निम्नानुसार प्रचार–प्रसार समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लाक, नगरपलिकाओं, नगर पचायतों, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रो व सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से कराया जाये।

"एक युद्ध नशे के विरूद्ध"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, मारफीन एवं अन्य नशीली दवाईयो की बिक्री किया जाना पाया जाता है तो उसकी सूचना नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नंम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

टोल फ्री नम्बर

1933

(कार्यवाही समस्त कार्यालयाध्यक्ष/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/ नगर पंचायत/मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद सम्भल।)

बिन्दु संख्या–1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग सम्भल द्वारा मॉडल पब्लिक लॉ कालेज चन्दौसी जनपद सम्भल, ग्राम टांडा, नरौली , चन्दौसी, राजथल, तहसील परिसर गुन्नौर जनपद सम्भल में **"एक युद्ध नशे के विरूद्ध"** के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1933 का प्रचार प्रसार किया गया है।

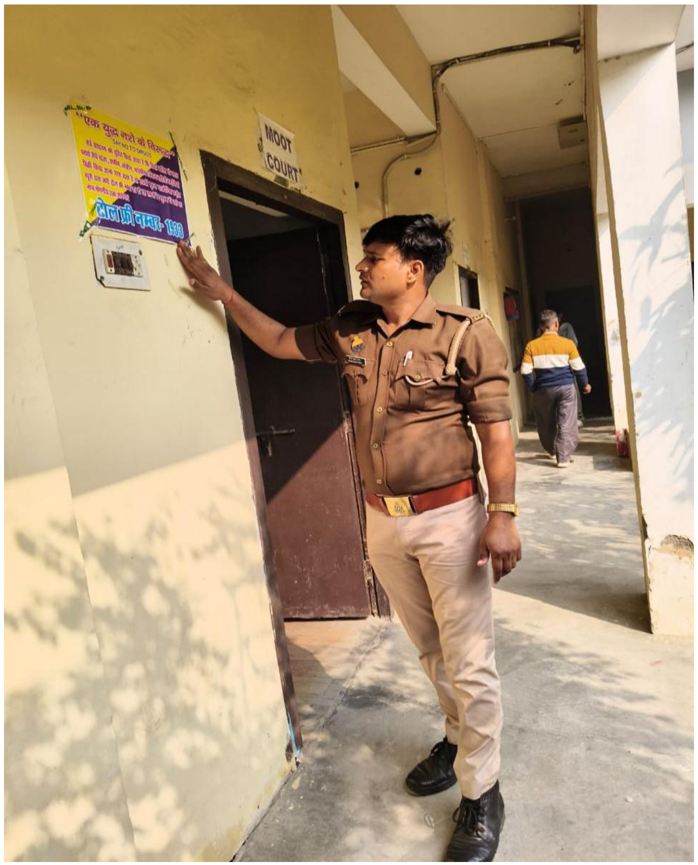

कार्यालय जिलाधिकारी
उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखें पूरा ध्यान
कन्या सुमंगला योजना

सूचना पट
GPS Map Camera
Gunnaur, Uttar Pradesh, India
6cpr+ggw, Near Vinod Computer, Gunnaur, Uttar Pradesh 243722, India
Lat 28.236281° Long 78.441136°
16/12/25 04:39 PM GMT +05:30
Google

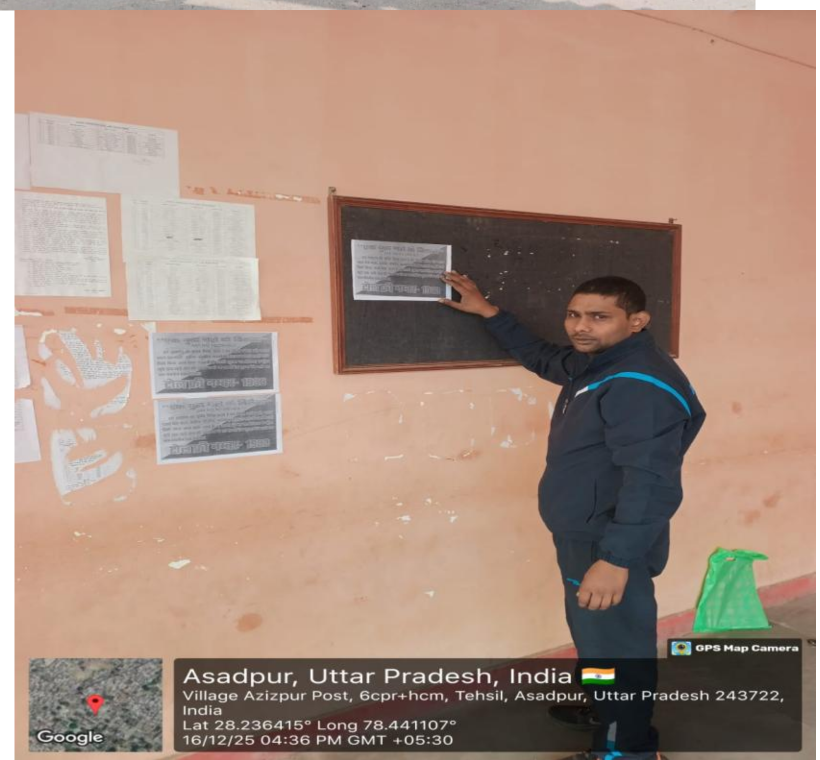
GPS Map Camera
Asadpur, Uttar Pradesh, India
Village Azizpur Post, 6cpr+hcm, Tehsil, Asadpur, Uttar Pradesh 243722, India
Lat 28.236415° Long 78.441107°
16/12/25 04:36 PM GMT +05:30
Google

बिन्दु संख्या–2

आगामी बैठक में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी टोल फ्री नम्बर **1933** पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई की सूचना उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही प्रतिनिधि नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

बिन्दु संख्या–3

व्यापार कर एवं आबकारी विभाग जनपद सम्भल के राजमार्गों व अन्य जनपद से आने वाले मार्गों मुख्य रूप से अमरोहा सम्भल सीमा, सैदनगली, हजरतनगर गढ़ी पर रोड चैकिंग की जाये। उक्त रोड चैकिंग के दौरान अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनो की सघनता से जाँच किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुखबिर तंत्र विकसित कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्यवाही की जाये। आगामी बैठक में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही व्यापार कर/केन्द्रीय माल और सेवाकर/आबकारी/पुलिस विभाग जनपद सम्भल)

क.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–3

राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुदादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 15.12.2025 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह नवम्बर 2025 में कुल 1154 वाहनों की जाँच की गयी । जाँच में 18 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 36.14 लाख के सापेक्ष रू0 18.45 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह नवम्बर 2025 में 22 परचून के वाहनो की चैकिंग की गयी, जिसमें 01 दो वाहन पर नियामानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल मूल्य रू0 03.20 लाख के सापेक्ष 3.36 लाख अर्थ दण्ड जमा कराया गया एवं माह नवम्बर में लकडी के 20 वाहनों की चैकिंग की गई, जिसमें से 06 दोषी वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य 13.40 के सापेक्ष रू0 11.61 लाख का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया एवं 11 वाहन ईट, आयरन स्क्रैब, चीनी, जैकेट आदि माल से सम्बन्धित है जिनसे अभिग्रहीत माल मूल्य रू. 19.53 के सापेक्ष रू0 3.47 लाख कर /अर्थदण्ड जमा कराया गया। उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नही था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पादर्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1154	0

<u>बिन्दु संख्या–3 की अनुपालन आख्या</u>

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह नवम्बर 2025 में उक्त कार्यवाही के दौरान 444 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 73 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 1704.00 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा अमरोहा–सम्भल सीमा, सैदनगली, हजरतनगर गढी गवाँ–अनूपशहर मार्ग, चन्दौसी बहजोई मार्ग पर लगभग 62 वाहनों की रोड चैकिंग की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	62	0

Excise and Police Department

GPS Map Camera
Ashlatnagar Jarai, Uttar Pradesh, India
Fq9m+r3w, Moradabad - Chandausi Rd, Dewar Khera, Ashlatnagar Jarai, Uttar Pradesh 244412, India
Lat 28.469559° Long 78.782527°
Thursday, 27/11/2025 10:46 PM GMT +05:30
Google

बिन्दु सं0–3

(क) जनपद में स्थित दवाइयों की दुकानों पर मनःप्रभावी औषधि की जॉच की जाये। यदि किसी दवाई की दुकान पर अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि पायी जाये तो अनाधिकृत मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

क्र.सं.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

(ख) चिकित्सक द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

क्र.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर की संख्या	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं0–4

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2025–26/233 दिनांक 15.12.2025 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जाँच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनः प्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनः प्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'एक युद्ध नशे के विरूद्ध' एवं 'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां' के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है। सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरूद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही है। क्रय/विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियो के क्रय/विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

क.स.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1	09	पायी गयी कमियों के सापेक्ष औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी(विक्रय) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

सीनियर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का फूंका बिगुल

सम्भल (विधान केसरी)। युवा पीढी को नशे के कुचक्र से बचाने के लिए सीनियर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सम्भल ने अपने कदम बढाये है। इसके लिए जनपद सम्भल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरूआत की गई है।

जिलाधिकारी और जिला औषधि निरीक्षक के दिशा निर्देश के क्रम में सीनियर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सम्भल के तत्वाधान में कैमिस्टों ने नगर में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत रैली निकालकर जनता को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। इसके साथ ही एसोसिएशन से जुड़े थोक और खुदरा दवा विक्रेताओं ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध के स्टिकर और बैनर लगाए। इस अवसर पर संजय गुप्ता पोली, नवनीत शर्मा, प्रवीण वार्ष्णेय, महावीर मोंगिया, प्रदीप रस्तोगी, सुमित श्याम, मौ. शम्शी, विशाल पाठक, सुमित वार्ष्णेय, अंकुर मेहरोत्रा, अनिल गुप्ता, राजेश अग्रवाल, पवन गुप्ता, डा. महमूद, सईद आदि उपस्थित रहे।

केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने मेडिकल पर लगाए नशा विरोधी पोस्टर

मोहम्मद सलीम खान। जनपद सम्भल केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने मेडिकल के काउंटर पर नशा विरोधी पोस्टर लगाकर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को गति दी है। सभी मेडिकल स्टोर पर नशा विरोधी पोस्टर लगाकर नशे के विरुद्ध में सार्थक युद्ध छेड़ने का संकल्प लिया है।केमिस्ट एसोसिएशन के संभल नगर, तहसील एवं जिला क्षेत्र के सभी मेडिकल स्वामियों ने अपने-अपने मेडिकल स्टोर के काउंटर पर नशा विरोधी बैनर पोस्टर लगाकर नशे के विरुद्ध सार्थक युद्ध छेड़ कर समाज जागरण का अभियान चलाया है। संगठन के मंत्री मोहम्मद शाहनवाज आलम ने कहा कि नशा विरोधी पोस्टर में भांग, गुटखा, बीड़ी सिगरेट, शराब, नशीली दवाइयां और इंजेक्शन से दूर रहकर स्वयं को समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया गया है। सुबोध शर्मा ने कहा कि केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा नशा विरोधी पहल समाज जागरण के द्वारा ही सफल हो सकती है। और विभिन्न माध्यमों और संसाधनों से

केमिस्ट एसोसिएशन समाज जागरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महामंत्री अजय कुमार शर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी के साथ केमिस्ट एसोसिएशन की संपन्न हुई बैठक में स्वच्छता अभियान और नशा विरोधी अभियान का संचालन तय किया गया था। जिसके अनुसार प्रत्येक रविवार में नगर पालिका परिषद संभल के सहयोग से सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जाना तथा अन्य विधाओं और तरीकों से संपूर्ण नशा मुक्ति के लिए समाज जागरण का अभियान केमिस्ट एसोसिएशन चला रही है। इस अभियान में नशा और गंदगी को हार माननी पड़ेगी समाज और देश की विजय होगी। उन्होंने बताया कि केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपने मेडिकल पर नशा विरोधी पोस्टर बैनर लगाए हैं। अब प्रत्येक मेडिकल के काउंटर पर नशा विरोधी पोस्टर लगाने का अभियान चल रहा है। शहर में सार्वजनिक स्थलों पर भी नशा विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं, और अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। संबंधित अनेक सामाजिक साहित्यिक धार्मिक व्यापारिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। नशे के विरुद्ध आर पार का युद्ध लड़ने के अभियान में शर्मा मेडिकोज, ईबादी मेडिकल स्टोर, एस ए मेडिकल स्टोर, अंजर मेडिकल स्टोर, अनस मेडिकल स्टोर, जनता मेडिकल स्टोर, गुप्ता मेडिकल स्टोर, चौधरी मेडिकल स्टोर, भूमि मेडिकल स्टोर, सेवा मेडिकल स्टोर, जनता मेडिकल स्टोर, सागर मेडिकल स्टोर, सचिन फार्मा, वार्ष्णेय मेडिकल स्टोर, आदि के नेतृत्व में चल रहे नशा मुक्ति अभियान सफल होने का विश्वास व्यक्त किया।

बिन्दु सं0–5

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाऐं यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत **''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''** का प्रचार–प्रसार किया जाय। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों/कालेज एवं विशेष रूप से मेडिकल कालेज /महाविद्यालयों में नशा मुक्ति का प्रचार–प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के विरूद्ध जागरूक करेंगे। राजघाट परिसर में स्थित घर्मशालाओं व अन्य स्थानों पर नशा मुक्ति के स्लोगन लिखवाये जाये। जिन व्यक्तियों ने नशा छोड दिया है उनको आगामी बैठक में बुलाया जाये। वे अपने अनुभव व किये गये प्रयासो को बताये तथा उनको सम्मानित किया जाये जिससे वे अन्य व्यक्तियों को भी नशा छोडने के लिए प्रेरित करें।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रहमकुमारी संस्था)

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमिडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

बिन्दु संख्या–4 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्भल, गायत्री परिवार एवं ब्रहमकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1300	157599
2	इन्टरमिडिएट	12	1132
3	डिग्री कालेज	07	542
4	अन्य	3	210
	योग	1322	159483

बिन्दु संख्या–4 की अनुपालन आख्या

जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल एवं आबकारी निरीक्षको द्वारा मॉडल पब्लिक लॉ कालेज चन्दौसी जनपद सम्भल, ग्राम टांडा, नरौली, चन्दौसी, राजथल, तहसील परिसर गुन्नौर जनपद सम्भल जनपद सम्भल में **"एक युद्ध नशे के विरूद्ध"** के तहत नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तथा स्कूल में लगभग 80 विद्यार्थियो एवं अध्यापको नशा मुक्ति की शपथ दिलवायी गयी। अन्य लगभग 120 लोगो को जागरूक किया गया।

ब्रह्मकुमारी प्रजापिता

बिन्दु संख्या–6

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक ''बाल संसद'' एवं ''प्रहरी क्लब'' द्वारा अपने स्कूल/कालेज में ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यो का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप मे उपलब्ध कराये–

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक /बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल)

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

बिन्दु सख्यां–6 की अनुपालन आख्या

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	156618
2	प्रहरी क्लब	1294	1295	157068
	योग	2583	2584	313686

समाज कल्याण विभाग

विद्यालय कोड- 1125
(समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित)
यू-डायस कोड- 09681000704
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय
सिंहावली जनपद सम्भल
(पूर्व वर्ती नाम-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)
विद्या एक ऐसा धन है, जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है

बिन्दु सं.–7

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार द्वारा आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है। उक्त आपरेशन कवच एवं आपरेशन सवेरा को सफल बनाये जाने हेतु प्रत्येक गतिविधि को डी.पी.एम.यू. सम्भल के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–7

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल को उपलब्ध करा दिया गया है। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर से आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार के स्तर से आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है।

‘‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध’’

‘‘नशा मुक्त भारत अभियान’’

‘‘नशे को ना जीवन को हाँ’’

NCORD